प्रेस नोट–103/2026
दिनांक 18.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.02.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छितपुर मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश निवासी ग्राम व थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 मोटर साइकिल
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 18.02.2026 को थाना सादाबाद व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सलेमपुर बंबा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–भोला उर्फ भोलू

उर्फ विष्णु 2–अंकित उर्फ हकला घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त भोला उर्फ भोलू उर्फ विष्णु के विरूद्ध जनपद हाथरस के थाना सादाबाद पर हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त अंकित उर्फ हकला के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भोला उर्फ भोलू उर्फ विष्णु निवासी महावतपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

2–अंकित उर्फ हकला निवासी समदपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना नौचन्दी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 दो पहिया वाहन**
- **01 पिस्टल 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 18.02.2026 को थाना नौचन्दी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आहद घायल हो गया,

जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 दो पहिया वाहन, 01 पिस्टल 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नौचन्दी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नौचन्दी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आहद निवासी जैदी फार्म थाना नौचन्दी जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–01 दो पहिया वाहन।

2–01 पिस्टल 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.02.2026 को थाना कोखराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त जयकरन उर्फ विकल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जयकरन उर्फ विकल निवासी बिछौरा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।

जनपद फिरोजाबाद/थाना मटसेना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के 810 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 17.02.2026 की रात्रि थाना मटसेना व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे सर्विस रोड दतावली अण्डरपास से 02 अभियुक्त 1–नीर खां 2–सवाई सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के 810 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल फोन, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना मटसेना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीर खां निवासी ग्राम खडरिया थाना धौरीमन्ना जनपद बाडमेर, राजस्थान।

2–सवाई सिंह निवासी ग्राम खडरिया थाना धौरीमन्ना जनपद बाडमेर, राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के 810 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 ट्रक।

- **जनपद बलिया/थाना बांसडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेश को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना पनवाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 115(2) बीएनएस व 5ध्6 पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चरनदास को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————